श्रवण कुमार v/s भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म जारी हुआ
	दावा मु०न० 905/2017	

द्वारा साक्ष्य में पेश शपथ पत्र व वादी साक्ष्य गवाह में पेश शपथ पत्रों में भी श्रवण कुमार पुत्र फूलचन्द के स्थान पर श्रवण कुमार पुत्र मूलचन्द घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना वर्णित किया है। वही तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 236/भू.अ./2020 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बरान् 3781 रकबा 4.22 हैक्टर जिसके हाल खसरा नम्बर 252, 253 कुल किता 2 कुल रकबा 4.22 हैक्टर में वादी के पिता का नाम श्रवण कुमार पुत्र फूलचन्द के स्थान पर श्रवण कुमार पुत्र मूलचन्द दर्ज किये जाने की अभिशंषा रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसके आधार पर वादी श्रवण कुमार पुत्र फूलचन्द के स्थान पर श्रवण कुमार पुत्र मूलचन्द दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। जिसे प्राकृतिक न्याय की भावना से दुरूस्त किया न्यायसंगत उचित प्रतित होता है।

"आदेश"

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम भोजमेड़ पटवार हल्का चीपलाटा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 252, 253 कुल किता 2 कुल रकबा 4.22 हैक्टर के खातेदारी में वादी के पिता का नाम फूलचन्द के स्थान पर मूलचन्द घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में श्रवण कुमार पुत्र फूलचन्द के स्थान पर श्रवण कुमार पुत्र मूलचन्द दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

02/09/2020
(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 02.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर(सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2020.09.09 12:10:47 IST
Reason: SelfAttested